न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 01/2019

तारीख रजू :–04.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेलवे,कोटा, राजस्थान।

..........आवेदक

बनाम

1. मदन लाल पुत्र श्री सुख जी लाल वैण्डर ऑफ मैसर्स श्यामलाल शर्मा लाइसेंसी फूड ट्रोली नं0 5 सवाई माधोपुर जं0 (राज0)।
2. श्याम लाल शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा लाइसेंसी फूड ट्रोली नं0 5 सवाई माधोपुर जं0(राज0)।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः–

दिनांक 30/6/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पश्चिम मध्य रेलवे,कोटा, राजस्थान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक [illegible]–02–2018 को समय प्रातः 12:15 बजे श्याम लाल शर्मा पुत्र श्री बाब ूलाल शर्मा लाइसेंसी फूड ट्रोली नं0 5 सवाई माधोपुर जं0 का निरीक्षण किया जहां पर वेण्डर मदन लाल पुत्र सुखजी लाल फूड ट्रोली नं0 5 में पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) की बिक्री कर रहे थे। आवेदक ने अपना परिचय दिया। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिये पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) में मिलावट का शक होन पर उनमें से विक्रेता से 2 किग्रा पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) वास्ते [illegible] जिसकी कीमत रूपये 180/– विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर [illegible] हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके [illegible] एवं फर्द [illegible] तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर एवं सुनाकर एवं समझा कर हस्ताक्षर करवाये [illegible] नं0 5 ए की एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]कारी एवं
[illegible] मजिस्ट्रेट
[illegible]धोपुर

प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) कुल मात्रा 2 किग्रा पुडी को 500– 500 ग्राम के 4 भांगों में बांटकर अलग– अलग प्लास्टिक जार में रखकर प्रजिरवेटिव फॉरमेलिन 40–40 बुंद प्रत्येक पार्ट में डाला गया, ढक्कन लगाकर पैक किया गया विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर उन पर चिपकायें गये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं क्रमांक डब्ल्यू सीआर/915–193 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने हस्तक्षर किया एवं विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर लिये गये। उक्त खरीदशुदा नमूनों को खाकी पेपर मे लपेटकर किनारे गोंद से चिपकायें तत्पश्चात अभिहित अधिकारी जबलपुंर के हस्ताक्षकरयुक्त पेपर स्लिप नं0 डब्ल्यू सी आर/915–193 नियमुनसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रतयेक भाग को धागें से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये गये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनों पर आये। नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया गया। वेण्डर को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त संग्रह किये गये नमूने का चौथा भाग की जांच प्रत्यायित प्रयोगशाला में कराने हेतु जारी किया गया लेकिन वेण्डर द्वारा इस बाबत कोई अनुरोध नहीं किया गया। वेण्डर मदन लाल को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया कि उक्त पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) का खरीद बिल प्रस्तुत करे लेकिन कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंदकर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करा कर फार्म नं0 6 की रसीद प्राप्त की गई। शेष 3 भाग सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की तीन प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प0म0रे0 जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी प0 म0 रे जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एच क्यू/एच/एच/0602/एफएसएसए दिनांक 02–04–2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेष्क कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 187/FSSL/KOTA/ Act/2018/37 दिनांक 02–03–2018 के अनुसार विक्रता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) सबस्टैण्डर्ड फूड हाना पाया गया । यह है कि उक्त केस में सबस्टैण्डर्ड पुडी पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है अतः अभियुक्त गण पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार अधिकसम जुर्माना करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से श्री मुकेश तेहरिया एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अभियुक्तगण ने जरिये अधिवक्ता नोटिस का जबाव पेश किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा संख्या द्वारा जबाव/बहस में अभियुक्त संख्या 1 के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत कर अभियुक्त संख्या 1 के फौत होने पर अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध चल रही कार्यवाही ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता पूर्व में प्रस्तुत किये गये जबाव में अपने द्वारा बनाई गई पूडी सब्जी रिफाइण्ड ऑयल (चम्बल) में बनाना बतलाया गया जो कि पैक बन्द तेल आता है अतः उनके विरूद्ध चल रही कार्यवाही को ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया। अपनी बहस के अन्त में अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा अपने पक्षकारों के विरूद्ध चल रहे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 187/FSSL/KOTA/ Act/2018/37 दिनांक 22–03–2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) सबस्टैण्डर्ड पाया गया जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है अभियुक्त संख्या 1 को जारी तामिल की पुश्त पर अभियुक्त संख्या एक के फौत होने की रिपोर्ट अंकित की हुई है तथा अभियुक्त गण के अधिवक्ता द्वारा भी अभियुक्त संख्या 1 के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिससे यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त संख्या 1 फौत हो चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 को लाइसेंसी फूड ट्रोली संख्या 5 पर महज विक्रेता की हेसियत से पार्टी बनाया गया है उक्त फूड ट्रोली में लाईसंसी अभियुक्त संख्या 2 है। अतः अभियुक्त संख्या 1 फूड ट्रोली नं0 5 में महज विक्रेता होने तथा लाइसेंसी अभियुक्त संख्या 2 होने के कारण प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत चल रही कार्यवाही ड्रोप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त संख्या 1 विरूद्ध चल रही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत चल रही कार्यवाही ड्रॉप की जाती है तथा अभियुक्त संख्या 2 लाइसेंसी फूड ट्रोली नं0 5 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त संख्या 2 को सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ पुडी (रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल से बनी हुई) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 2 पर 15,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली अन्दर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested